भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *35
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान

***35. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः**

श्री संजय उत्तमराव देशमुख

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण हुए जान-माल के नुकसान का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों विशेषकर धाराशिव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण फसलों, पशुधन, कृषि अवसंरचना और किसान परिवारों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आपदा के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य में कोई केन्द्रीय दल भेजा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) महाराष्ट्र में प्रभावित किसानों के राहत और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) अथवा राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को एनडीआरएफ के अलावा विशेष वित्तीय सहायता या मुआवजा अथवा अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने का है; और

(छ) क्या सरकार का विचार भविष्य में किसानों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति अपनाने का है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 दिनांक 02.12.2025

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के उत्तर में वक्तव्य।

(क) और (ख): यह मंत्रालय किसी भी आपदा के कारण हुए जान-माल के नुकसान से संबंधित आँकड़ों का केंद्रीय रूप से रखरखाव नहीं करता है। हालाँकि, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2025 में बाढ़/भारी वर्षा के कारण 26.11.2025 तक 224 लोगों की जान गई है, 599 पशुओं की जान गई है और 3598 मकान तथा 75.42 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा की क्षतिपूर्ति के लिए।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए ₹4176.80 करोड़ (₹3132.80 करोड़ केंद्रीय अंश + ₹1044.00 करोड़ राज्य अंश) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में ₹1566.40 प्रत्येक की पहली और दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अपने एसडीआरएफ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को आरंभिक शेष के रूप में ₹1613.52 करोड़ की राशि उपलब्ध बताई गई है।

वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़ के मद्देनजर, राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का मौके पर आकलन करने हेतु 16.10.2025 को एक IMCT का गठन किया गया है। IMCT ने 03.11.2025 से 05.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मंत्रालय को महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। IMCT की रिपोर्ट और राज्य सरकार के ज्ञापन के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

(च) और (छ): इस सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए खरीफ

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 दिनांक 02.12.2025

2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। इस योजना के तहत केवल सुनिश्चित किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के नुकसान तक व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, बीमा कंपनियाँ बीमांकिक/बोली प्रीमियम लेती हैं, लेकिन किसान को खरीफ मौसम के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए रबी मौसम के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम देना होता है। शेष बीमांकिक/बोली प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहाँ इसे केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है और सरकार द्वारा फंड रूटिंग एजेंसी अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सीधे बीमा कंपनियों को प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, फसल बीमा, किसानों द्वारा बीमा कंपनी को स्वीकार्य प्रीमियम के भुगतान पर, बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदा/प्रतिकूल मौसम के विरुद्ध अपनी फसल के नुकसान का बीमा करने का एक वित्तीय साधन है। अतः, फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत दावों का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाता है जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान किया है।

संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य दावों/नुकसानों की गणना की जाती है और उनका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, फसल सीजन के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण संबंधित बीमा इकाई में सीजन के दौरान अपेक्षित उपज सीमांत उपज के 50% से कम होने की संभावना होती है, बीमित किसानों को तत्काल राहत भी प्रदान की जाती है।

हालाँकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों से होने वाले नुकसान और कटाई के बाद 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के लिए चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से होने वाले फसल-पश्चात नुकसान की गणना संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा निरीक्षण के बाद व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है, जिसमें राज्य के अधिकारी, बीमा कंपनियों के अधिकारी और हानि मूल्यांकनकर्ता शामिल होते हैं। इसके अलावा, रोकी गई बुवाई/असफल

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 दिनांक 02.12.2025

अंकुरण के लिए दावों का भुगतान करने और मध्य-मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में तदर्थ दावों का भी प्रावधान है।

आरडब्ल्यूबीसीआईएस सामान्यतः व्यावसायिक बागवानी फसलों पर लागू होता है। यह किसानों को प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जैसे कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान (लू, शीत लहर, पाला सहित), आर्द्रता आदि के विरुद्ध बीमा सुरक्षा/मुआवजा प्रदान करता है, जो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। बागवानी फसलों के लिए ओलावृष्टि और बादल फटने के लिए अतिरिक्त बीमा कवरेज डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत ऐड-ऑन/इंडेक्स प्लस के रूप में प्रदान किया गया है।

****